

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 586]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 11 नवम्बर 2020 — कार्तिक 20, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 28 अक्टूबर 2020

अधिसूचना
संख्या 05/2020 — राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ 10-80/2020/वाक/पांच(110). — छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 9 की उप धारा (3) और (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 12/2017-राज्य कर(दर), क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच(80) दिनांक 28 जून, 2017 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 252 तारीख 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 19ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“19ग	9965	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अंतरिक्ष कारपोरेशन लि. या न्यू स्पेस इण्डिया लि. के द्वारा आपूर्ति की गयी उपग्रह प्रक्षेपण सेवा।	शून्य	शून्य”
------	------	--	-------	--------

2. यह अधिसूचना 16 अक्टूबर, 2020 से प्रभावशील मानी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिंदर कौर द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 28 अक्टूबर 2020

क्रमांक एफ 10-80/2020/वाक/पांच(110).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-80/2020/वाक/पांच(110), दिनांक 13-10-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिंदर कौर द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 28th October 2020

NOTIFICATION
No.05/2020 – State Tax (Rate)

No. F 10-80/2020/CT/V(110).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Notification No. 12/2017-State Tax(Rate), No. F-10-43/2017/CT/V(80), Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 28th June, 2017, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the Table, after serial number 19B and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

“19C	9965	Satellite launch services supplied by Indian Space Research Organisation, Antrix Corporation Limited or New Space India Limited.	Nil	Nil.”
------	------	--	-----	-------

2. This notification shall be deemed to have come in to force on 16th October 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANINDER KAUR DWIVEDI, Principal Secretary.